

अटल पेंशन योजना (APY)

प्रिय मित्रों,

भारत सरकार द्वारा हाल ही में 'अटल पेंशन योजना' के नाम से एक पेंशन योजना लागू की गई है। यह योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामदारों एवं स्वयं का उद्यम करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेषतः लाभदायक है।

इस योजना की मुख्य बातें निम्न हैं : -

1. योजना का स्वरूप : - इस योजना में हमारे देश का कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, शामिल हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत योजना में शामिल व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र होने पर कम से कम 1 हजार और अधिकतम 5 हजार रु. महीने तक की पेंशन प्राप्त होगी, किंतु इसके लिए उसे योजना में शामिल होने के दिन से 60 वर्ष की उम्र होने तक निर्दिष्ट अंशदान देना आवश्यक है।

2. योजना में शामिल होने की शर्तें : -

(i) प्रतिभागी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो ;

(ii) प्रतिभागी का किसी बैंक में बचत खाता हो

(iii) प्रतिभागी के पास आधार कार्ड हो ;

(3) योजना के अंतर्गत होने वाले लाभ : -

(i) प्रतिभागी की उम्र 60 वर्ष पूर्ण होने पर मासिक पेंशन की ताउम्र प्राप्ति।

(ii) पेंशन शुरू होने के पश्चात् प्रतिभागी की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को वही मासिक पेंशन की ताउम्र प्राप्ति।

(iii) प्रतिभागी तथा उसके जीवनसाथी की मृत्यु के बाद प्रतिभागी के नामांकित व्यक्ति को अंशदान की जमा राशि की प्राप्ति।

(iv) प्रतिभागी की पेंशन शुरू होने से पहले मृत्यु होने पर अंशदान की जमा राशि उसके जीवनसाथी को दी जाएगी।

(4) भारत सरकार द्वारा सहायता : -

ऐसे प्रतिभागी जो कि न तो आयकरदाता हैं और न ही किसी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित हैं, ऐसे प्रतिभागियों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू के पाँच वर्षों तक 1,000

रु. वार्षिक तक अंशदान दिया जाएगा।

यह लाभ उन्हीं प्रतिभागियों को मिलेगा जो अपना पेंशन खाता 31 मार्च 2016 तक खुलवाते हैं।

(5) पेंशन खाता कहाँ खुलवाएँ :-

यह खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है।

(6) अंशदान की राशि :-

प्रतिभागी को निम्न तालिका के अनुसार मासिक अंशदान की राशि अपने पेंशन खाते में जमा करनी होगी। बैंक द्वारा यह राशि प्रतिभागी के बचत खाते से हर माह हस्तांतरित कर ली जाएगी।

आयु	जमा करने की अवधि वर्ष में	मासिक पेंशन 1000 के लिए	2000 के लिए	3000 के लिए	4000 के लिए	5000 के लिए
18	42	42	84	126	168	218
20	40	50	100	150	198	248
25	35	76	151	226	301	376
30	30	116	231	347	462	577
35	25	181	362	543	722	902
40	20	291	582	847	1164	1454

नोट :- उक्त तालिका कुछ चुनिंदा आयु वर्ग को प्रदर्शित करती है। प्रतिभागी अपनी वास्तविक उम्र के हिसाब से अंशदान की राशि बैंक से जान सकता है। अंत में हमारा निवेदन है कि हमारे द्वारा उक्त विवरण विभिन्न सरकारी स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रतिभागी की सुलभ समझ हेतु तैयार किया गया है। प्रतिभागी को यदि उक्त जानकारी लाभप्रद लगती है तो वह खाता खोलने की पूर्ण जानकारी नजदीकी बैंक से प्राप्त कर सकता है। मुख्यतः प्रतिभागी को यह बात याद रखनी चाहिए कि इस योजना में पेंशन का लाभ तभी मिलेगा, जबकि उसने योजना में शामिल होने के दिन से 60 वर्ष की उम्र होने तक अपना अंशदान नियमित रूप से भरा हो।

धन्यवाद

गोयल चैरिटीज एसोसिएशन
10, वाई.एन. रोड़, इन्दौर